



# सराहनीय कार्य

## इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 06.06.2024

नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाले 01 बालअपचारी, 01 अभियुक्ता सहित कुल 03 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बलरई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

### घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.06.2024 को वादी द्वारा थाना बलरई पर सूचना दी गयी कि उनकी नाबालिग बेटी का अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया है सूचना पर तत्काल थाना बलरई पर मु0अ0सं0 19/24 धारा 363 भादवि बढोत्तरी धारा 323/344/366/386/506 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 06.06.2024 को थाना बलरई पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 19/2024 से संबंधित 01 बालअपचारी, 01 अभियुक्ता सहित कुल 03 अभियुक्तों को बलरई स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विकास पुत्र अशोक निवासी ग्राम बनामई थाना बैदपुरा जनपद इटावा उम्र 27 वर्ष।
2. कामिनी पत्नी रामनरेश (काल्पनिक) उम्र 29 वर्ष।
3. 01 बालअपचारी।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 19/24 धारा 363/323/344/366/386/506 भादवि थाना बलरई जनपद इटावा।

पुलिस टीम:- थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार मिश्र थाना बलरई, उ0नि0 संजय यादव, का0 अजय कुमार, का0 राहुल भारद्वाज, का0 अभिषेक तिवारी।